

17.11.2021

twitter-@rampurpolice
@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-

थाना शहजादनगर-20,000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद रामपुर में इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर डा० संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी कैमरी श्री अनुज चौधरी के नेतृत्व में थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 17-11-2021 को 20 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त हसनैन अली पुत्र नौशे अली नि० चमरौआ थाना शहजादनगर जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त महिला थाना, रामपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-14/20 धारा 498ए/323/313 भादवि व 3/4 द०अधि० व मु०अ०सं०-57/20 धारा 174ए भादवि में लगातार फरार चल रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त हसनैन पर 20,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हसनैन अली पुत्र नौशे अली नि० चमरौआ थाना शहजादनगर जनपद रामपुर
गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-थानाध्यक्ष प्रदीप मलिक थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर ।
- 2-उ०नि० श्री राकेश कुमार थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर ।
- 3-हे०का० 548 रहमान अली थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर ।
- 4-का० 716 जयप्रकाश थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर।

थाना सिविल लाइन:-धोखाधडी में एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 16-11-2021 को वादी श्री अफसाद पुत्र शाहिद निवासी अहमदाबाद निकट फैजगंज थाना टाण्डा, रामपुर द्वारा थाना सिविल लाइन, रामपुर पर सूचना दी कि मा० न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी एक्ट/अपर जिला जज, रामपुर सरकार बनाम इसार आदि धारा 147,148,308 भादवि थाना टाण्डा मु०अ०सं०-313/2016 में वादी है। उपरोक्त वाद में दिनांक 16-11-2021 को साक्ष्य नियत है। इस वाद में मुल्जिमान के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी है। मुल्जिमान नेे प्रार्थना पत्र वास्ते वारण्ट निरस्तीकरण प्रस्तुत किया है तथा मुल्जिमान अभिरक्षा में है। उपरोक्त वाद में अभिरक्षा में अभियुक्त याकूब पुत्र खलील के स्थान पर प्रतिरूपण कर

फुरकान पुत्र आशक अली निवासी ग्राम अहमदाबाद थाना टाण्डा खडा है जो कि उपरोक्त वाद में अभियुक्त नहीं है। उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा मा० न्यायालय को धोखा दिया जा रहा है। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु०अ०सं०-399/21 धारा 419,420 भादवि बनाम फुरकान पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना टाण्डा-74 किलो अधजला ई-कचरा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16-11-2021 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा मोहसिन पुत्र जुल्फिकार नि० ग्राम हमीरपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को जंगज ग्राम कन्हैया नगला थाना टाण्डा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 74 किलो अधजला ई-कचरा बरामद हुआ था। इस सम्बंध में थाना टाण्डा, रामपुर पर मु०अ०सं०-429/21 धारा 269,270 भादवि व 3/8 ई कचरा का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना बिलासपुर:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17-11-2021 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त बाघ पुत्र मजीद मसीह निवासी जोसफनगर थाना बिलासपुर जिला रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना मिलक:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17-11-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त सुरेश पुत्र अनोखे नाथ निवासी अस्दुल्लापुर थाना मिलक, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।